मुख्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Employees' State Insurance Corporation

पंचदीप भवन, नई दिल्ली -110002

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

संख्या: ई-13/12/22/2019-ज.स.   दिनाक: 30.10.2019

प्रेस विज्ञप्ति

100 बिस्तरों वाले ई. एस. आई. सी अस्पताल,रुद्रपुर (उत्तराखंड) का उदघाटन

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा आज दिंनाक 30 अक्तूबर, 2019 को 100 बिस्तरों वाले ई एस आई सी अस्पताल,रुद्रपुर (उत्तराखंड) का उदघाटन डॉ हरक सिंह रावत, माननीय वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार, श्री रामपाल सिंह, माननीय महापौर, नगर निगम, रुद्रपुर, माननीय विधायक, किछा की गरिमामयी उपस्थिति मे किया गया। इस सुअवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति, भारत सरकार एवं ESIC के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।

माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने सम्बोधन में कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारियों के कल्याण के लिए दृढ़ संकलिप्त है। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण 05 एकड़ भूमि पर 97.72 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है जिसमे 32 स्टाफ क्वार्टर भी शामिल है। अभी इस अस्पताल मे ओ पी डी की सेवाएँ प्रदान की जा रही है। हालाकि, नियत समय पर, इस अस्पताल में बीमित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए आपातकालीन ब्लॉक,ऑपरेशन थियेटर, रेडियोलौजी, ओर्थोपेडिक क्लीनिक, जनरल मैडिसिन इत्यादि आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

इस अस्पताल द्वारा रुद्रपुरऔर आस पास के इलाके के लगभग 2.00 लाख ई एस आई योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जाएंगी और यह स्वास्थ्य देखभाल की दिशा मे एक अहम कदम साबित होगा।

उन्होंने अपने सम्बोधन मे यह भी कहा कि भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है जिनमे कर्मचारियों एवं नियोजको के ईएसआई अंशदान 6.50% (क्रमश कर्मचारियों का 1.75% एवं नियोजको का अंशदान 4.75%) से घटाकर 4% (क्रमश कर्मचारियों का 0.75% एवं नियोजको का अंशदान 3.25%) कर दिया है। इस अंशदान की कमी से लगभग 3.6 करोड़ कर्मचारियों एवं 12.85 लाख नियोजको को फायदा होगा उन्होंने यह भी कहा कि ESIC ने कई और महतवपूर्ण निर्णय लिए हैं , जिनमें जिन ESIC Hospitals में स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है,उन्हें Non-IPs के लिए खोल दिया जाना है । जहां पर IPs तथा उनके आश्रितों के साथ साथ आम जनता भी बहुत ही साधारण शुल्क देकर तमाम मेडिकल सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ ही निगम ने अल्प उपयोगी औषधालय-सह-शाखा कार्यालय मे उपलब्ध चिकित्सा सेवाओ को भी गैर-बीमाकृत व्यक्तियों को प्रदान करना शामिल है।

अभी हाल में ही ESIC द्वारा एक नई स्कीम **अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना** को भी शुरू की है जिसके अंतर्गत बेरोजगार होने की स्थिति में या नई नौकरी खोजने की स्थिति में राहत राशि उनके बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट किया जाएगा।

मंत्री महोदय ने कहा कि श्रम मंत्रालय असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रहा है । उन्होंने यह भी सूचित किया कि केन्द्र सरकार ने श्रम कानून को आसान बनाने के लिए 38 श्रम कानून को 4 श्रम कोड में बदलने का काम कर रहे हैं । उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना के बारे में भी बताया जिसमे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इत्यादि है।

इस अवसर पर, डॉ हरक सिंह रावत, माननीय वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार, श्री रामपाल सिंह, माननीय महापौर, नगर निगम, रुद्रपुर, एवं श्री राजेश शुक्ला, माननीय विधायक, किछा ने रुद्रपुर में 100 बिस्तरों का ई एस आई सी अस्पताल के उदघाटन के लिए श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। उन्होने यह भी कहा कि यह अस्पताल रुद्रपुर एवं इसके आस पास के क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कामगारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार की सरहाना भी की ।

भारत में क.रा.बी.योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है जिनमें समुचित चिकित्सा देखभाल, आवश्यकता के समय नकद हितलाभों जैसे - रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु आदि हैं। क.रा.बी.अधिनियम परिसरों/प्रसीमाओं के भीतर जहां 10 या अधिक कर्मचारी व्याप्त हैं, उनपर लागू होता है। 21000/- रुपये प्रतिमाह तक का वेतन पाने वाले कर्मचारी क.रा.बी.अधिनियम के तहत स्वास्थ्य बीमा व्याप्ति और अन्य हितलाभों के पात्र हैं। यह अधिनियम अब 12.11 लाख कारखानों और स्थापनाओं पर देशभर में लागू है जिनमें कामगारों की 3.49 करोड़ परिवार इकाइयां हैं। अब तक क.रा.बी.हितलाभार्थियों की कुल संख्या 13.56 करोड़ से ऊपर है। अपने प्रारंभ 1952 ई. से क.रा.बी.निगम अब तक 154 अस्पताल, 1500/148 औषधालय/आईएसएम इकाइयां, 29 जिलो मे औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ),793 शाखा/भुगतान कार्यालय और 64 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर चुका है।

....